उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

105206

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि - रु0 6,23,456/-
बाजार मूल्य - रु0 4,35,840/-
अदा किये गये स्टाम्प शुल्क - रु0 62,400/-

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. तहसील - बिल्हौर
3. ग्राम - [illegible]
4. सम्पत्ति का विवरण - भूमि खसरा संख्या 476 रकबा

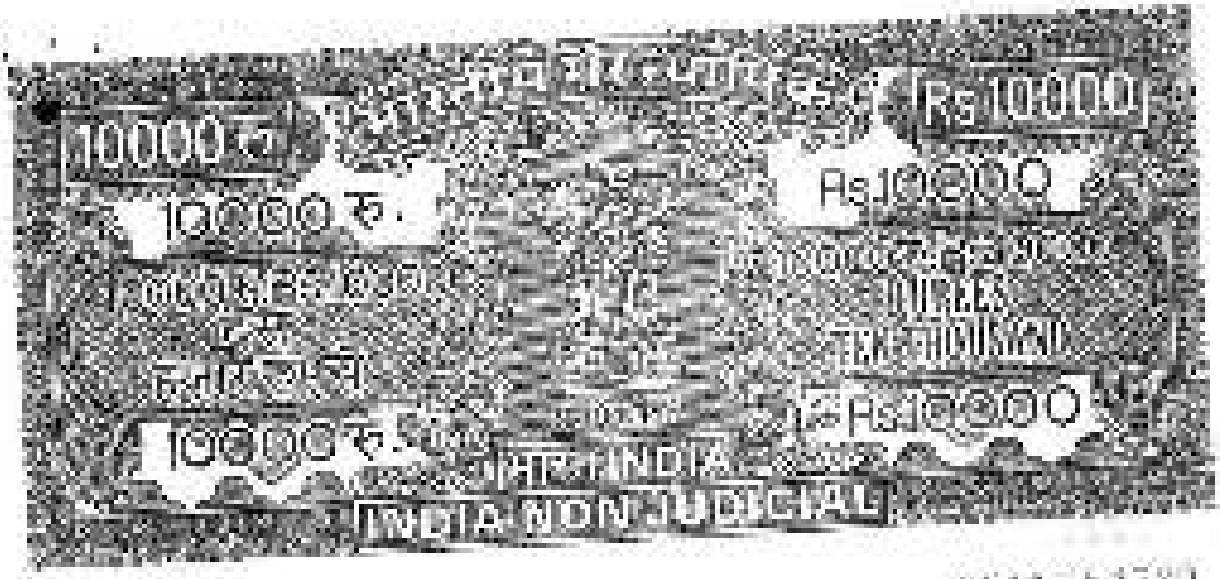

INDIA NON JUDICIAL

Rs 10000

10000 रु.

-2-

0.138 है0, खसरा संख्या 1108 रकबा 0.153 है0, खसरा संख्या 570 रकबा 0.202 है0, खसरा संख्या 1112 रकबा 0.202 है0, खसरा संख्या 1113 रकबा 0.177 है0, खसरा संख्या 1114 रकबा 0.215 है0, खसरा संख्या 1115 रकबा 0.228 है0, खसरा संख्या 1123 रकबा 0.031 है0, कुल रकबा 1.457 है0 का 1/5 भाग रकबा 0.2934 है0 व खसरा संख्या

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 684435

420 रकबा 0.101 हे0 का पूर्ण भाग अर्थात कुल विक्रीत रकबा 0.3944 हे0 स्थित ग्राम- [illegible], परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

5.	माप की इकाई	-	हेक्टेयर
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	-	0.3944 हेक्टेयर
7.	सड़क की स्थिति		सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक
8.	सम्पत्ति का प्रकार	-	कृषि
9.	पेड़ों की स्थिति	-	नहीं

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 894436

-4-

10. भूमि/ कुआं आदि - कुछ भी नहीं है।

<u>चौहद्दी खसरा नं0 476</u>

उत्तर	: खसरा नं0-472, 475, 477
दक्षिण	: खसरा नं0-484, 481
पूरब	: खसरा नं0-477, 479
पश्चिम	: खसरा नं0-495

<u>संयुक्त चौहद्दी खसरा नं0 968, 970</u>

उत्तर	: खसरा नं0-1107, 43
दक्षिण	: खसरा नं0-967, 952
पूरब	: खसरा नं0-971, 972

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 684437

5

पश्चिम : खसरा नं0-602, 413

<u>संयुक्त चौहद्दी खसरा नं0 1112,1113,1114,1115</u>

उत्तर	: खसरा नं0-1122, 1124
दक्षिण	: खसरा नं0-1116, 1104, 1106
पूरब	: खसरा नं0-1116, 1117, 1121
पश्चिम	: खसरा नं0-1111, 1124

<u>चौहद्दी खसरा नं0 1123</u>

उत्तर	: खसरा नं0-1124
दक्षिण	: खसरा नं0-1124, 1122
पूरब	: खसरा नं0-1122

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 881041

-6-

पूर्व— : खसरा नं0-1124

मौजूदा खसरा नं0 4288

उत्तर : खसरा नं0-429

दक्षिण : खसरा नं0-444

पूरब : खसरा नं0-424

पश्चिम : खसरा नं0-430, 444

प्रथम पक्ष की संख्या- 3 द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
1. अनिता 2. [illegible] पुत्रगण दुलारे 3. रामप्रताप	:	[illegible] पुत्र [illegible] निवासी ग्राम [illegible] पो0 नौगाँव, तहसील

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4 381042

पुत्र रामकेशावन 4.अपलायर (नाबालिग) पुत्र रामकेशावन द्वारा संरक्षिका माता श्रीमती सत्यवेई व स्वयं 5. श्रीमती सत्यवेई पत्नी स्व0 रामकेशावन निवासीगण- ग्राम- बहौला, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ।	व जिला फतेहपुर।
व्यवसाय- कृषि	व्यवसाय- कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 963043

यह विक्रय विलेख 1. नन्हिका 2. रामलली पुत्रगण कुमारी 3. रामबहादुर पुत्र रामसेवक 4.रामसागर (नाबालिग) पुत्र रामसेवक द्वारा संरक्षिका माता श्रीमती सरजूदेई व स्वयं 5. श्रीमती सरजूदेई पत्नी स्व0 रामखेलावन निवासीगण ग्राम बरौला, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है तथा [illegible] पुत्र शिवनाथ निवासी ग्राम निजामपुर भिटारी पो0 नौगीरा, तहसील व जिला फतेहपुर जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

605152

यह कि विक्रेतागण भूमि खसरा संख्या 476 रकबा 0.139 है0, खसरा संख्या 968 रकबा 0.252 है0, खसरा संख्या 970 रकबा 0.202 है0, खसरा संख्या 1112 रकबा 0.202 है0, खसरा संख्या 1113 रकबा 0.177 है0, खसरा संख्या 1114 रकबा 0.215 है0, खसरा संख्या 1115 रकबा 0.228 है0, खसरा संख्या 1123 रकबा 0.051 है0, कुल रकबा 1.467 है0 का 1/3 भाग रकबा 0.2934 है0 व खसरा संख्या 4298 रकबा 0.101 है0 का पूर्ण भाग अर्थात कुल विक्रीत रकबा 0.3944 है0 स्थित ग्राम [illegible], परगना बिजनौर, तहसील व जिला

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 605173

लखनऊ का मालिक, काबिज व दाखिल है तथा उपरोक्त सम्पत्ति खतौनी खाता संख्या 00036 व 00060 के अनुसार भूमि विक्रेतागण के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेतागण के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता को पैसों की सख्त आवश्यकता के कारण विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व दाखिल है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरकार भूमि का हिस्सा नहीं है। यह कि

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 232073

विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने इसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, रेहन या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेतागण ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई भार नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा भार भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेतागण व उनके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत कियत या बन्धक लिया नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण से

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 782094

अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का हित, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त इत्यादि के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू0 6,23,466/- के प्रतिफल में विक्रय उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करते हैं, तदनुसार अब विक्रेतागण उक्त क्रेता के पक्ष उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G-502075

लिया गया है, जो यथार्थ पेश किया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को सम्पूर्ण कर दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति में अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने नुकसान स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में शामिल के रूप में धारण एवं उपभोग व उपयोग करेंगे। विक्रेतागण व उनके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 802096

नहीं उठा सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जावे तो क्रेता उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जे व खर्चे, विक्रेता की अन्य, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जे व खर्चे देने हेतु बाध्य होंगे।

यह कि विक्रेतागण यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति को दाखिल खारिज करके राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार उक्त सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे, क्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम करौरा अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए, निर्धारित सर्किल रेट रू0 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर हिसाब से विक्रीत भूमि 0.3944 हेक्टेयर की मालियत रू0 4,33,840/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 62,400/- स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई पेड़ मकान आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की अकृषिक गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मीटर के

अर्न्तगत में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी रोड नाम, प्रस्तावित व अवस्थित नाम पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि प्रमाण रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

<u>प्रतिफल भुगतान विवरण</u>

1. विक्रेतागण को रु0 2,07,822/- द्वारा चेक संख्या- [illegible] दिनांकित 02.07.2007 पंजाब नेशनल बैंक, इन्दिरानगर लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

2. विक्रेतागण को रु0 2,07,822/- द्वारा चेक संख्या- [illegible] दिनांकित 02.07.2007 पंजाब नेशनल बैंक, इन्दिरानगर लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

3. विक्रेतागण को रु0 69,274/- द्वारा चेक संख्या- 5895[illegible] दिनांकित 02.07.2007 पंजाब नेशनल बैंक, इन्दिरानगर लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

4. विक्रेतागण को रु0 1,38,548/- द्वारा चेक संख्या- 589548 दिनांकित 02.07.2007 पंजाब नेशनल बैंक, इन्दिरानगर लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेतागण ने कुल विक्रय मूल्य 523400/- (रुपया 5 लाख तेईस हजार चार सौ मात्र) नकद, क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं तथा अब विक्रेता को क्रेता से कुछ भी लेना शेष नहीं है।

स्थान: लखनऊ
दिनांक : 02.07.2007
गवाह :- क्रेता की पहचान में
1.

विक्रेतागण

क्रेता

2. विक्रेता की पहचान में

मसौदाकर्ता
(... कुमार)
सिविल कोर्ट लखनऊ

टंकणकर्ता
(विमल कुमार ...)
एडवोकेट

ग्राम

खसरा नं

रकबा

विक्रेता

क्रेता

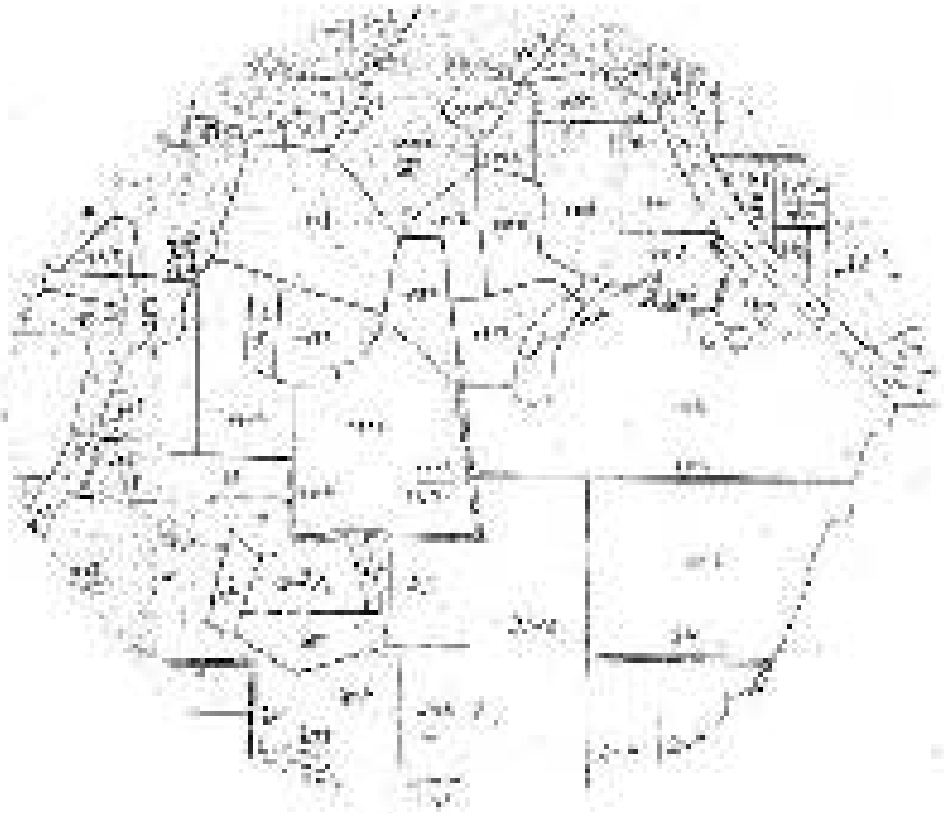

ग्राम

खसरा नं

रकबा

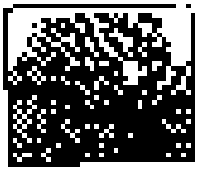

[illegible]

[illegible] नाम श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा [illegible]

निवासी [illegible]

[illegible] श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा [illegible]

निवासी [illegible]

[illegible]

[illegible]

एस. के. वार्ष्णेय
उप निबन्धक (प्रथम)
मुरादाबाद [?]
20-?-2021 [?]

ग्राम

खसरा नं

रकबा

जिला

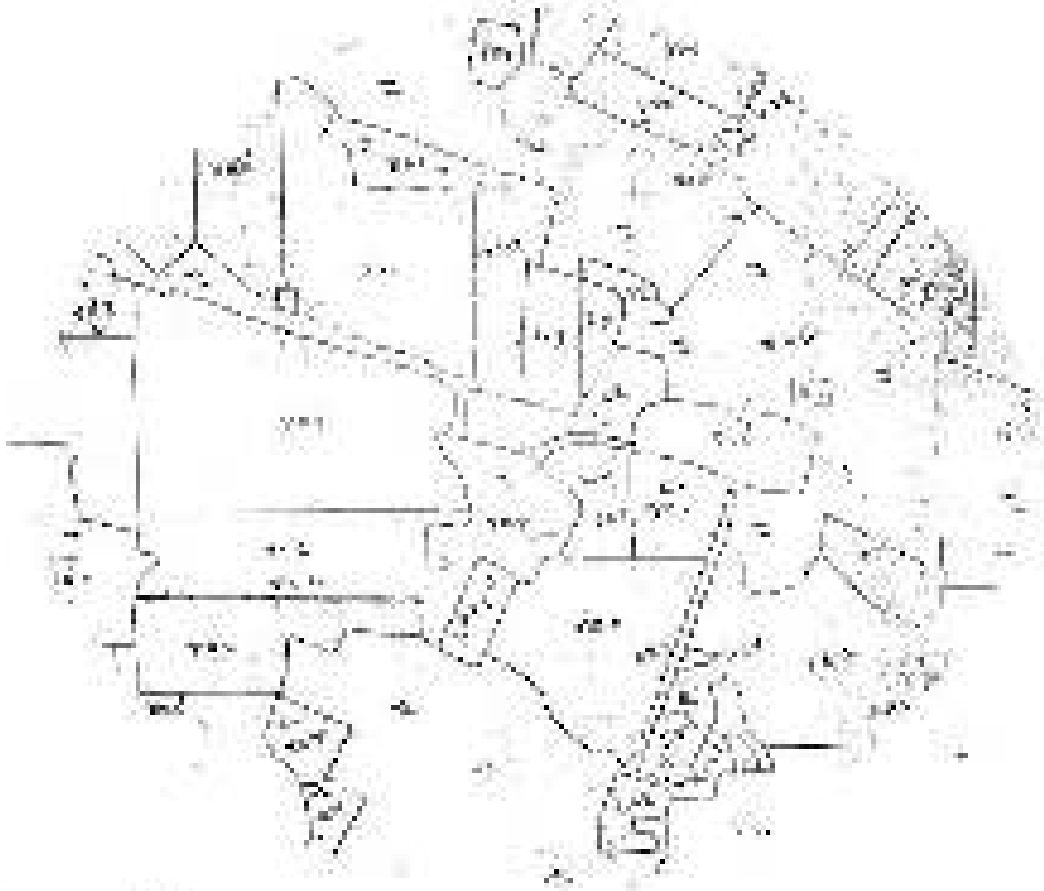

[illegible]

[illegible]

उप निबंधक [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

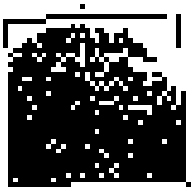

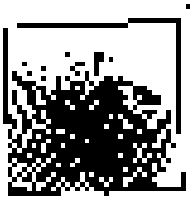

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32 - ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्ट

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता ....

बाँये हाथ के अंगुलियों के प्रिन्ट

दाँये हाथ के अंगुलियों के प्रिन्ट

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता/विक्रेता का नाम व पता ....

बाँये हाथ के अंगुलियों के प्रिन्ट

दाँये हाथ के अंगुलियों के प्रिन्ट

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

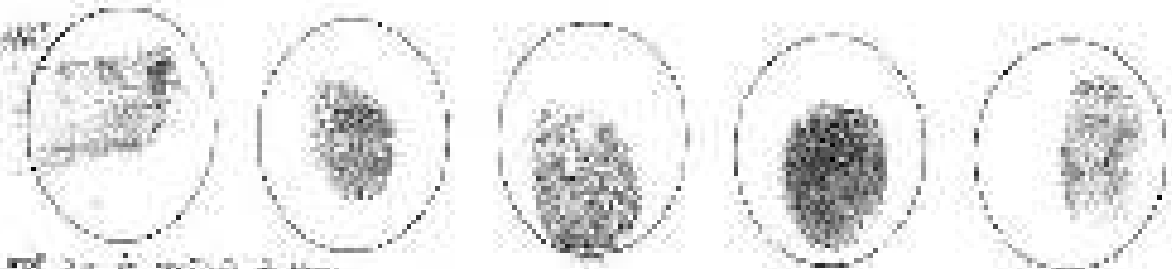

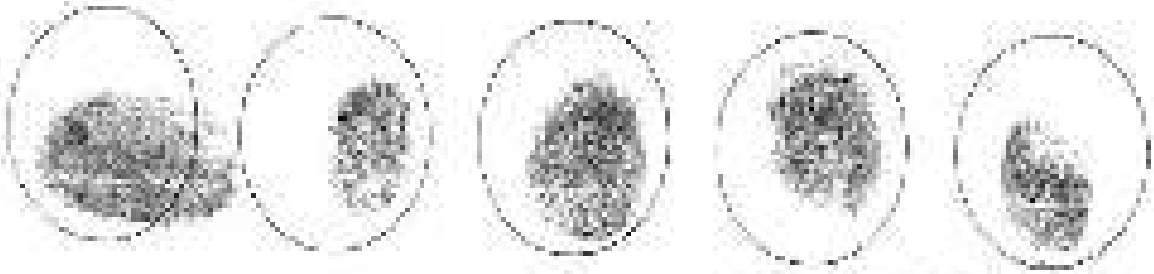

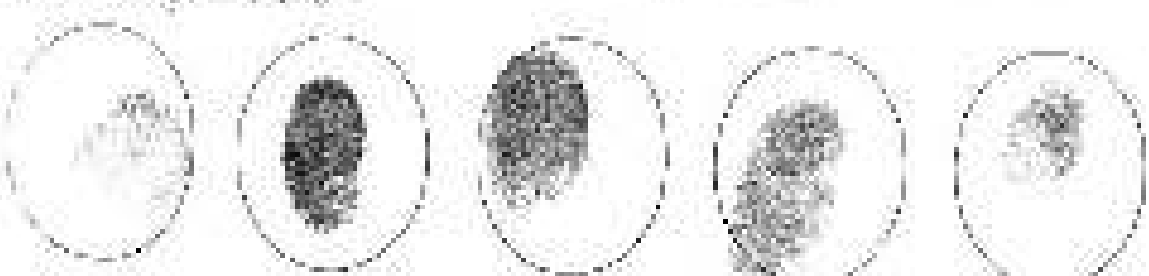

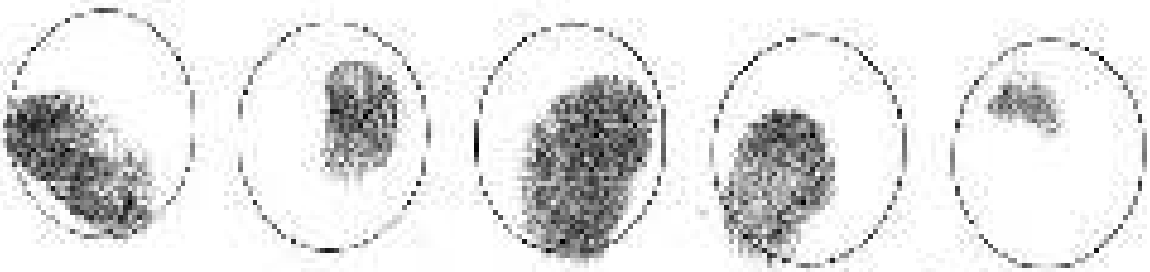

[illegible]

Registration No [illegible] Date: [illegible] Book No. [illegible]

0101 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0102 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0103 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0104 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

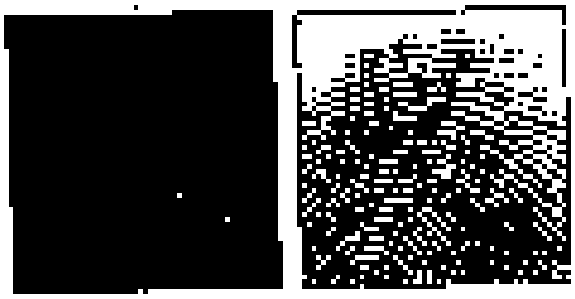

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32 - ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्ट्स

[illegible]

बाँयें हाथ के अंगुलियों के निशान

दाँयें हाथ के अंगुलियों के निशान -

निष्पादक/विक्रेता/ओं के हस्ताक्षर

[illegible]

दाँयें हाथ के अंगुलियों के निशान -

क्रेता/ओं के हस्ताक्षर

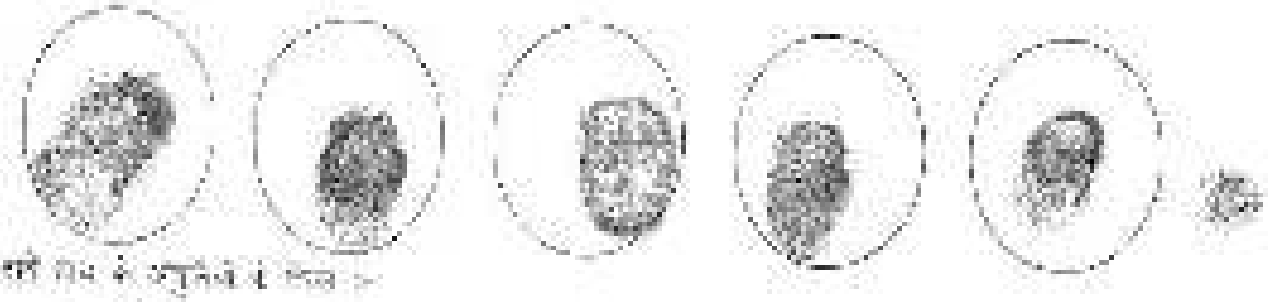

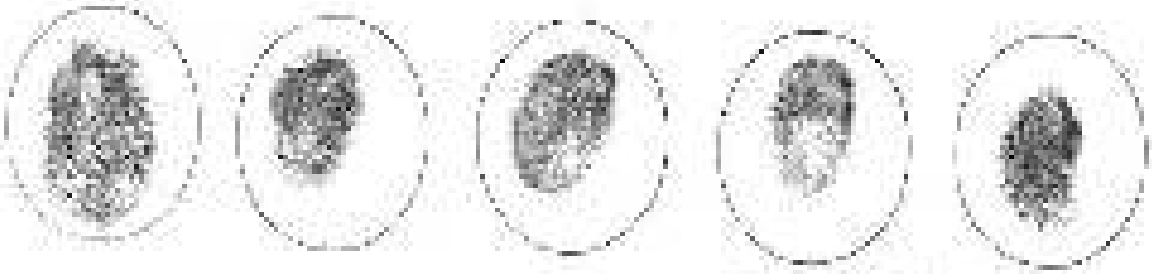

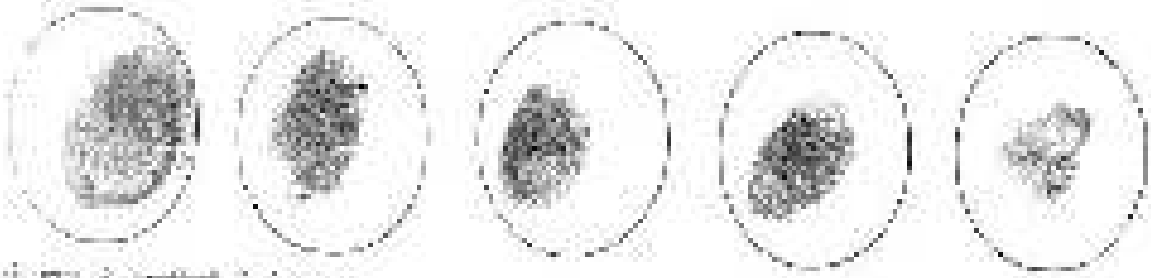

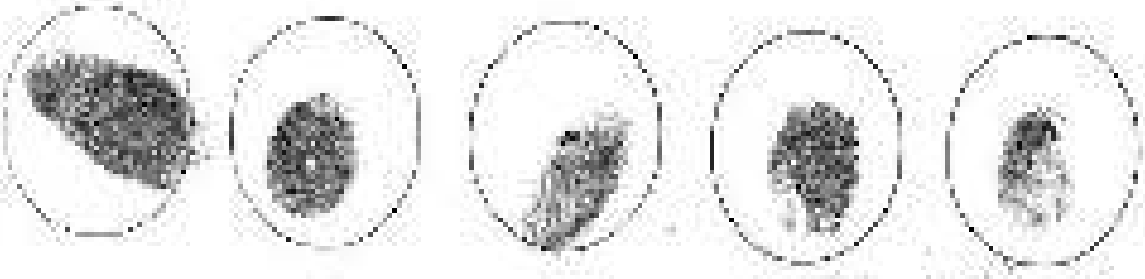

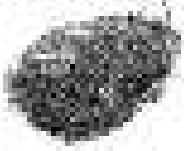

[illegible]

Registration No : [illegible] Year : [illegible] Book No : [illegible]

[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

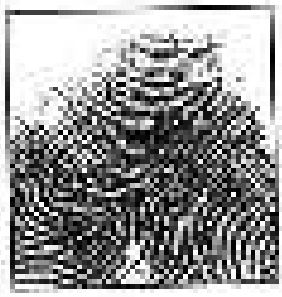

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32 - ए. के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्टस्

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :

बांये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

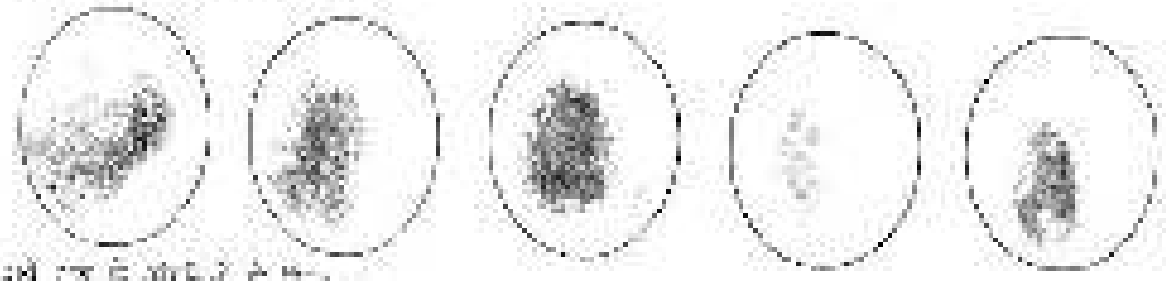

दांये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

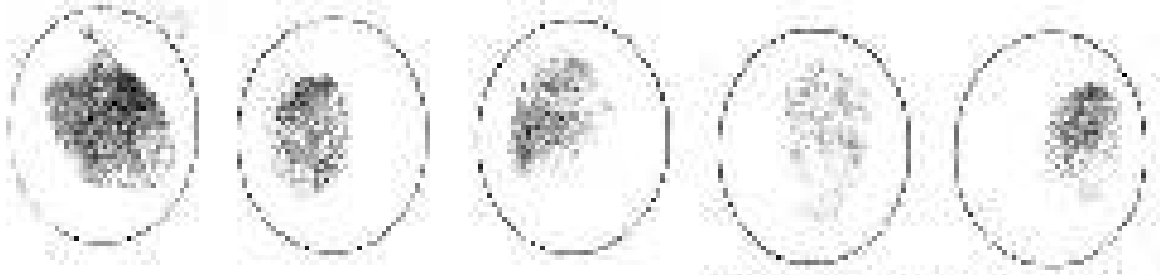

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता/गवाह का नाम व पता :

बांये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

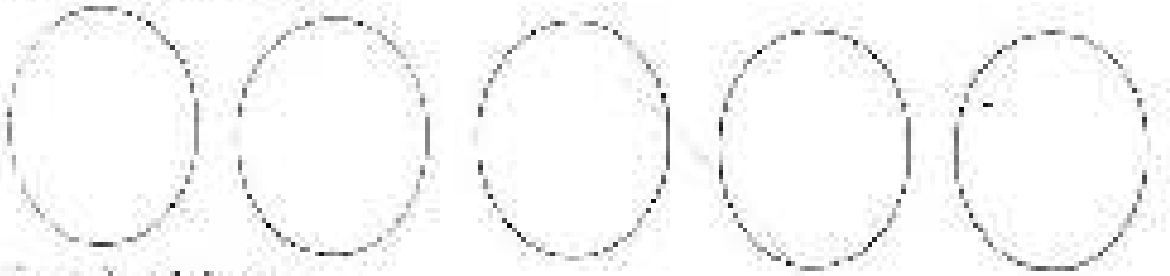

दांये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

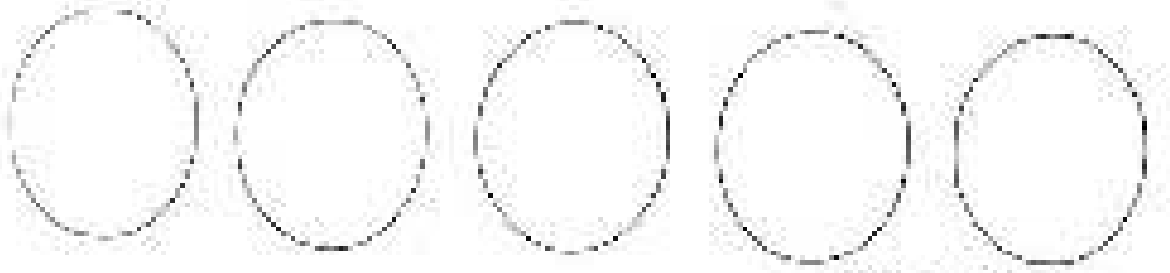

क्रेता/गवाह के हस्ताक्षर

आज दिनांक 02/07/2007 को

बही सं 1 जिल्द सं 8439

पृष्ठ सं. 89 से 134 पर क्रमांक 6299

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

एस .के .पाण्डेय
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
2/7/2007